अध्यादेश संख्या 13

शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों के लिए सेवा और आचार संहिता के नियम और शर्तें

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकों से तात्पर्य प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों या असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य लोगों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी कॉलेज या संस्था में अनुदेश प्रदान करने या शोधपरक कार्यों में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है और जो अध्यादेशों के द्वारा शिक्षकों के रूप में मनोनीत किये जाते हैं।

2. विश्वविद्यालय का एक शिक्षक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होगा और अपना पूरा समय वह विश्वविद्यालय की सेवा में लगाएगा/लगाएगी और अपने स्थान पर किसी सम्मानित,अभ्यागत, अंशकालिक और तदर्थ शिक्षकों को शामिल नहीं करेगा/करेगी।

(क) कार्य परिषद् की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेतन या मानदेय से जुड़े, अन्य किसी व्यवसाय या व्यापार में या निजी ट्यूशन में या अन्य किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा/होगी।

(ख) आगे सूच्य है कि कुलपति की आज्ञा से, शिक्षकों को विश्वविद्यालय की परीक्षा से संबंधित, या शैक्षणिक संस्था, लोक सेवा आयोग, अन्य साहित्यिक कार्य, प्रकाशन रेडियो/टेलीविजन वार्ता, विस्तृत व्याख्यान या, अन्य अकादमिक कार्य, करने की अनुमति होगी।

(ग) आगे कहा गया है कि शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसंधान, प्रकाशन, परामर्श और प्रबंधन, कार्यकारी विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से सहभागी होने के लिए, विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन से, प्रोत्साहित किया जाएगा।

कर्तव्यों के प्रकार–

3. संपर्क घंटी की अवधि में शिक्षकों के काम का बोझ, परिसर में उपस्थिति और शिक्षण, शोध, परीक्षा, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम विकास, एवं अध्ययन की तैयारी से संबंधित गतिविधियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी।

4. शैक्षणिक संगठनों, निर्धारित अध्ययनों के पाठ्यक्रम और प्रभावी शिक्षण से जुड़े अन्य कार्य जैसे विकास, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला और क्षेत्रीय कार्य, ट्यूटोरियल छात्रों की परीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित कार्य, कक्षा में अनुशासन का रख रखाव छात्रों के कल्याण से संबंधित कार्य इत्यादि शिक्षकों के प्राथमिक कर्तव्य होंगे।

5. अध्ययन के नियोजित पाठ्यक्रमों के शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे शोध प्रकाशन, विकास, अकादमिक संस्कृति आदि को बढ़ावा देने में अत्यन्त सच्चे मन से और उत्सुकता से सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक परंपराओं में सक्रिय रूप से सहभागिता करेगे।

6. शिक्षक विश्वविद्यालय के विभाग, (बोर्ड ऑफ स्टडीज) स्कूल बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और कार्य परिषद् के निर्णय मानने को बाध्य होंगे और वे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष के सामान्य दिशा, निर्देशन और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

7. प्रत्येक शिक्षक, समय–समय पर बनने वाले, अधिनियम के पत्रों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की अनिवार्य गतिविधियों में भाग लेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। हर शिक्षक विश्वविद्यालय की ऐसी गतिविधियों में भाग लेगा और विश्वविद्यालय में इस तरह के कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि अधिनियम, पत्र और अध्यादेशों के अनुसार, जो समय–समय पर बनते हैं, उसके लिए आवश्यक होगा।

8. प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होगा और किसी विशेष स्कूल/विभाग/केन्द्र में उसकी वर्तमान नियुक्ति विश्वविद्यालय की वर्तमान जरूरत और आवश्यकता के अनुसार होगी। विश्वविद्यालय अपने स्कूलों/विभागों और केन्द्रों को बदलती जरूरतों, आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर स्थापित करने, रद्द करने, पुनः संयोजित करने और पुनर्नामित करने का अधिकार रखेगा और विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित के अनुसार, किसी भी समय शिक्षकों की नियुक्ति, नियुक्ति का स्थान बदल देगा।

परिवीक्षा (परख अवधि)

9. शिक्षकों को आमतौर पर बारह महीनें की अवधि के लिए परिवीक्षा (परख अवधि) पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की कुल अवधि 24 महीनें से अधिक नहीं होगी। अधिनियम 19 के अन्तर्गत आने वाली शर्तों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर परिवीक्षा की शर्तें लागू नहीं होगी।

सत्यापन (पुष्टिकरण)

10. यह कुलसचिव का दायित्व होगा कि वह शिक्षक के परिवीक्षा (परख अवधि) के सत्यापन पत्र का कागज, कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करें, परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के 40 दिन पहले।

11. कार्य परिषद् के पास यह अधिकार होगा कि वह शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा या उसे सुनिश्चित नहीं करेगा या उसके परिवीक्षा की अवधि को बढ़ायेगा, लेकिन परिवीक्षा की अवधि किसी भी स्थिति में 24 महीनें से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे सूच्य है कि शिक्षक की नियुक्ति का सत्यापन न करने का निर्णय कार्य परिषद् के उपस्थित सदस्यों और वोटिंग करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा।

12. यदि कार्य परिषद् ने एक शिक्षक की नियुक्ति को, उसकी परिवीक्षा के 24 महीने की अवधि समाप्त होने के पहले, या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के अंत से पहले, या जो भी मामला हो सत्यापित नहीं करने का फैसला किया हैं, तो उस शिक्षक को इसकी लिखित सूचना तत्काल प्रभाव से उस अवधि की समाप्ति के 30 दिन के भीतर दी जाएगी।

वेतन वृद्धि

13. प्रत्येक शिक्षक के वेतन में वृद्धि नियमों के अनुसार होगी, जब तक कि कार्य परिषद् के निर्णय द्वारा इसे रोका या स्थापित न किया जाए। एक शिक्षक जिसकी वेतन वृद्धि को स्थगित या रोकने का प्रस्ताव रखा गया है उसे अपनी बातें लिखित रूप में रखने का अवसर दिया जाएगा।

करियर एडवांसमेन्ट द्वारा पदोन्नति

14. विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की पदोन्नति, करियर एडवांसमेन्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रचलित और समय–समय पर संशोधित मानकों/अधिनियमों के द्वारा अनुदेशित होगी।

सेवानिवृत्ति की उम्र

15. अधिनियम 25 के प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्थायी पद पर चयनित शिक्षक तब तक अपनी सेवा जारी रखेगा जब तक भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त न कर ले।

(क) परन्तु यदि किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति की समय सीमा शैक्षणिक सत्र के दौरान ही समाप्त हो जाती है तो, इस बात को ध्यान में रखकर कि एक विभाग/केन्द्र का शिक्षण कार्य बाधित न हो, कार्य परिषद्, कुलपति की संस्तुति से, उस शिक्षक को शैक्षणिक सत्र के अंत तक की किसी भी अवधि तक के लिए पुनर्नियुक्त कर सकता है।

(ख) परन्तु विशेष मामलों में एक शिक्षक के सेवानिवृत्ति हो जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गये नियमों के आधार पर पुनः उसे संविदा पर पुनर्चयनित किया जाएगा।

व्यावहारिक आचार संहिता

16. प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियमों कानूनों/अध्यादेशों, नियमों और विनियमों और आचार संहिता को मानने को बाध्य होगा।

(क) आगे सूच्य है कि एक शिक्षक की नियुक्ति के पश्चात उसके सेवा नियमों और शर्तों में उसके पदनाम, वेतनमान, वेतन वृद्धि, भविष्यनिधि, सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु, परिवीक्षा की समाप्ति, अवकाश, अवकाश का वेतन और सेवानिवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ताकि उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

17. विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनायी गयी आचार संहिता का पालन करेगा। जहाँ तक सामान्य नियमों का संबंध है तो निम्नलिखित गलतियाँ/एक विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए संगठित कदाचार के रूप में आएंगी।

(क) कुलपति द्वारा, स्कूल बोर्ड द्वारा, संकायाध्यक्ष द्वारा, कोई बोर्ड ऑफ स्टटीज द्वारा या विभाग द्वारा सौपी गई जिम्मेदारियाँ जैसे अध्ययन के पाठ्यक्रमों को पढ़ाना, शोध पर्यवेक्षण करना या अन्य प्रशासनिक और सह पाठ्यचर्या परक गतिविधियों को करने से, शब्दों या कार्यों के माध्यम से अस्वीकार।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा उसे समय–समय पर सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभानें में गलती करना या उपेक्षा करना या लापरवाही करना।

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, शैक्षणिक संस्थाओं या पदाधिकारियों के निर्णय को मानने से अस्वीकार करना।

(घ) व्यक्तिगत और पेशेगत नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन न करना, शब्दों के प्रचलित अर्थों, व्याख्याओं और अभिव्यक्ति के अंतर्गत किसी तरह की साहित्यक चोरी में शामिल होना।

(ङ) निम्न गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्नता–

(i) परिसर के शान्ति और सामंजस्यपूर्ण सामुदायिक जीवन को भंग करना और अन्य छात्रों कर्मचारियों और बाहरी लोगों को, छात्रों सहकर्मियों प्रशासन तथा परिसर के खिलाफ उकसाने में सहभागिता करना।

(ii) परिसर में सांप्रदायिकता घृणा और हिंसा फैलाना तथा जाति, पंथ, धर्म, जाति या लिंग पर अपमानजनक टिप्पणी करना।

(iii) ऐसे कामों और गतिविधियों में संलग्नता जो विश्वविद्यालय के हितों से टकराता हो।

(च) इन अध्यादेशों में निहित कोई भी बातें, अपने भाषण और लेखन में सार्वजनिक मंच पर या सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में सिद्धांतों के विषय में अपने अलग मत व्यक्त करने के शिक्षक के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

त्यागपत्र

18. एक शिक्षक किसी भी समय विश्वविद्यालय को लिखित रूप में सूचना देकर या विश्वविद्यालय को तीन महीने का वेतन देकर विश्वविद्यालय के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर सकता है।

19. सूचना की अवधि, परिवीक्षार्थी, संविदात्मक, अस्थायी और तदर्थ शिक्षकों के संबंध में या उनके वेतन के संबंध में एक महीने की होगी।

20. आगे बताया गया है कि, कार्य परिषद् अपने विवेक पर इस सूचना की अनिवार्यता को छोड़ सकती है।

लिखित अनुबंध

21. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की अधिदेशित धारा 33 (1) के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय प्रत्येक के साथ एक लिखित अनुबंध करेगा जिसका प्रारूप इस अध्यादेश संलग्नक 1 में दिया गया हैं और जिसमें समय–समय पर सुधार होते रहते हैं।

शैक्षणिक दिवस, कार्यभार और अवकाश के नियम

22. शैक्षणिक दिनों, कार्यभारों और अवकाश से संबंधित नियम और शर्ते, समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित होगी।

पुनर्नियुक्त पेंशन भोगियों के वेतन का निर्धारण–

23. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।

शिक्षकों का वरिष्ठता क्रम–

24. यह कुलसचिव का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों का जिन पर इस अध्यादेश की शर्ते लागू होती हैं, एक पूर्ण और तात्कालिक वरिष्ठता क्रम की सूची इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करे और उसे व्यवस्थित करें।

25. शिक्षकों का वरिष्ठता क्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित होगा। शिक्षकों का वरिष्ठता क्रम निर्धारित करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा।

(क) हर वर्ग में वरिष्ठता क्रम का निर्धारण व्यक्ति के उस वर्ग में नियुक्ति के दिन से दी जाने वाली अनवरत सेवा के आधार पर होगा।

(ख) यदि चयन समिति द्वारा विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक एक समान पद के लिए किसी दूसरे विभाग/केन्द्र, या विश्वविद्यालय के किसी स्कूल में नियुक्त किया जाता है/जाती हैं तो उसका वरिष्ठता क्रम विश्वविद्यालय में समान पद पर उसकी स्थायी नियुक्ति के दिन से गणना के आधार पर होगा।

(ग) यदि चयन समिति द्वारा एक ही दिन में दो या दो से अधिक शिक्षकों को चयनित किया जाता हैं तो चयन समिति के पास यह विशेषाधिकार होगा कि वह चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर उनका वरिष्ठता क्रम निर्धारित करें और यही आधार सेवा में उनका वरिष्ठता क्रम निर्धारित करने में भी प्रयुक्त होगा।

(घ) नियुक्त/पदोन्नत शिक्षकों के वरिष्ठता क्रम का निर्धारण करियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों/नियमों/और मानकों के अनुसार होगा। यदि करियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत किसी शिक्षक को दूसरे उच्च ग्रेड/पद में प्रोन्नत किया जाता है तो उस उच्च ग्रेड/पद में उनका वरिष्ठता क्रम उनके इस अगले ग्रेड/पद में प्रोन्नति के लिए पात्रता की तिथि सें माना जाएगा। यदि एक शिक्षक अभ्यर्थी प्रोन्नति से इंकार कर देता है तो उसका वरिष्ठता क्रम उनकी अगली योग्यता के तिथि से माना जाएगा।

(ङ) यदि किसी विशेष ग्रेड या पद पर दो या दो से अधिक व्यक्ति समान समय से कार्यरत हैं और किसी व्यक्ति की वरिष्ठता यदि संदेह के घेरे में है या प्रश्नांकित है तो कुलसचिव किसी व्यक्ति के परामर्श पर या अपनी तरफ से प्रस्ताव के आधार पर इस विषय को कार्य परिषद् को सौंप सकता है। कार्य परिषद् का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

(च) संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अध्यपन केन्द्र के निदेशकों और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित प्रधानाध्यापकों के मध्य वरिष्ठता क्रम का निर्धारण, उनके इन पदों पर नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित होगा।

अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियाँ–

26. अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, स्थायी शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण रिक्त हुए पदों पर होंगी और निम्नलिखित नियमों द्वारा निर्धारित होंगी।

(क) असिस्टेंट प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों के अवकाश ग्रहण करने के कारण रिक्त सीटें असिस्टेंट प्रोफेसरों के संवर्ग में भरी जाएंगी।

(ख) अधिनियम 18 (6) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति के परामर्श से अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

(ग) अस्थायी शिक्षक, स्थायी शिक्षकों के स्वीकृत अवकाश की अवधि तक सेवा में रहेंगे। किसी भी स्थिति में अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति चयन समिति की संस्तुति के बिना अपनी अस्थायी अवधि के समाप्त हो जाने के बाद, सेवा में नहीं बना रहेगा या किसी अन्य पद/पदों में उसे समायोजित नहीं किया जाएगा।

(घ) एक अस्थायी शिक्षक जिसे अवकाश के दौरान कोई सरकारी काम करने से मना किया गया हो, वह उस अवधि में अर्जित की जाने वाली अपनी उपलब्धियों के समतुल्य भुगतान का अधिकारी होगा, और उसकी नियुक्ति अवकाश के अंत तक जारी रखी जाएगी। आगे कहा गया है कि उसने उस शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 180 दिनों तक काम किया हो और उस शैक्षणिक वर्ष के अंतिम दिन तक अपने पद पर नियुक्त रहा हो। लेकिन शर्त यह है कि इस अवधि में वह शिक्षक कही और पारिश्रमिक पर नियुक्त न हुआ हो।

(ङ) अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति भविष्य में विश्वविद्यालय की नियुक्तियों मे प्राथमिकता या शिक्षकों की नियुक्ति में वरिष्ठता, या स्थायी नियुक्ति जैसे अधिकारों की माँग नहीं करेगा।

शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति–

27. कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के हित में, विश्वविद्यालय से सेवानिवृत, ज्ञान और अधिगम के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान देने वाले किसी भी शिक्षक को, निम्नलिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनर्नियुक्त कर सकता है।

(क) विश्वविद्यालय का ऐसा शिक्षक जो पेंशन पर सेवानिवृत्त हो रहा है, अपनी पुनर्नियुक्ति की इच्छा, उचित माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति की अवधि से 6 महीने पहले कुलपति को बता सकता है–

(ख) संबंधित विभाग/संस्था के विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष अपनी संस्तुति के साथ इसे कुलपति को अग्रसारित करेंगे।

(घ) यदि किसी विभाग का विभागाध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का इच्छुक है तो संबंधित विभाग का संकायाध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ उसका आवेदन पत्र कुलपति को अग्रसारित करेगा।

(ङ) यदि किसी विभाग का संकायाध्यक्ष स्वयं पुनर्नियुक्त होने की इच्छा रखता है तो वह अपना आवेदन पत्र कुलपति को स्वयं देगा/देगी।

(च) पुनर्नियुक्ति का आवेदन पत्र निम्ननिलखित प्रकार का होगा–

(i) सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक का पूरा जीवनवृत्त, जिसमें प्रमुख रूप से अन्तिम पाँच वर्षों की उसकी अकादमिक और अन्य उपलब्धियों का लेखा जोखा, शिक्षण और शोध अनुभव संबंधित सम्मेलनों कार्यशालाओं/ सेमिनारों/परिसवादों प्रकाशनों/परिचयों का विस्तृत ब्यौरा सम्मिलित होना चाहिए।

(ii) मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। (विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी से सत्यापित कराने का अधिकार रखेगा)

(छ) पुनर्नियुक्ति की इच्छा रखने वाले शिक्षक का आवेदन पत्र प्रस्ताव और बायोडाटा पुनर्नियुक्ति के लिए प्राप्त हो जाने पर, कुलपति, संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष से या उसी विषय के अन्य किसी विशेषज्ञ से परामर्श करके, उस शिक्षक की पुनर्नियुक्ति के संबंध में अपने विचार का प्रस्ताव कार्य परिषद् के सामने विचार के लिए रखेगा।

(ज) कोई भी शिक्षक पुनर्नियुक्ति होने को अपना अधिकार नहीं मानेगा।

(झ) विश्वविद्यालय के शिक्षक की पुनर्नियुक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित समग्र समय सीमा के अंतर्गत होगी इसमें विस्तार का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(ञ) पुनर्नियुक्ति को एक स्वस्थ अस्थायी नियुक्ति मानी जाएगा।

(ट) कार्य परिषद् स्वविवेक के आधार पर एक नव–नियुक्त शिक्षक की सेवा उसे एक महीने की लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है।

(ठ) एक पुनर्नियुक्त शिक्षक विभागाध्यक्ष या संकायाध्यक्ष नहीं बन सकता ना ही वह विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होगा और ना उसे कोई प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ दी जाएगी।

(ड) वेतन और अन्य सुविधाएँ, विश्वविद्यालय के शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गये नियमों के अनुसार होगी।

<u>अनुलग्नक – I</u>

शिक्षकों और अकादमिक कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला अनुबंध प्रपत्र

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 22(3) अंतर्गत]

लिखित नियुक्ति अनुबंध

विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक एवं अकादमिक स्टाफ के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति एक लिखित संविदा पर होगी, जिसका प्रारूप एतद् द्वारा निर्धारित है और इस अध्यादेश में संलग्न हैः

यह अनुबंध 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पत्र पर टंकित किया जाना है और इसकी एक मूल प्रति और दो प्रतिलिपि प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी हैं।

सेवा अनुबंध

इस सेवा अनुबंध के नियम भारतीय गणतंत्र के वर्ष 20................ की दिनांक .... को निष्पादित होते हैं। यह सेवा अनुबंध .... पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री .... जिनकी उम्र .... है और जो .... का/की निवासी है, (जिसे इस अनुबंध के तहत आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा) और महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार (जिसे इस अनुबंध के तहत आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा और आगे इसके लिए विश्वविद्यालय पद ही संबोधन में काम आयेगा) के बीच निष्पादित होता है।

धारा 22 (1) के तहत प्रथम पक्ष ....संकाय अंतर्गत .... विभाग में .... के पद पर कार्यरत रहते हुए अग्रांकित निबंधनों और शर्तों के तहत द्वितीय पक्ष अर्थात् विश्वविद्यालय की सेवा करेगा। अब उपस्थित गवाह और पक्ष क्रमशः निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं –

1. प्रथम पक्ष जिसको विश्वविद्यालय और प्राधिकारी के अधीन समय–समय पर उसे कार्य करना है, वह इनके आदेश मानेगा तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (दिनांक) ....से यहाँ उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अधीन सेवारत रहेगा।
2. प्रथम पक्ष अपना पूरा समय और ध्यान कुशलतापूर्वक और ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगायेगा/लगायेगी और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित उस आचरण संहिता समेत सभी नियमों का पालन करेगा/करेगी जो आचरण संहिता विश्वविद्यालय की उस शाखा से संबद्ध हो जिसके साथ प्रथम पक्ष संबद्ध है। प्रथम पक्ष को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रदान किये गये कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा।
3. प्रथम पक्ष का पद शिक्षक/अधिकारी की श्रेणी का होगा और नियुक्ति की तिथि से उसकी प्रास्थिति......................... (विभाग/केन्द्र/कार्यालय) में........................(पदनाम) की होगी और वह वर्तमान में .... (विभाग/केन्द्र/कार्यालय) में नियुक्त किया गया है।
4. प्रथम पक्ष यह समझता है और इससे सहमत है कि किसी विशेष संकाय/विभाग/केन्द्र में उसकी वर्तमान नियुक्ति विश्वविद्यालय की मौजूदा जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप है। विश्वविद्यालय अपने संकायों, विभागों और केंद्रों को बदलती जरूरतों, आवश्यकताओं, और परिस्थितियों के अनुसार स्थापित करने, रद्द करने, विलयित करने, पुनर्गठित करने और पुनर्नामित करने का अधिकार रखता है। प्रथम पक्ष इसे स्वेच्छा से स्वीकार करेगा और विश्वविद्यालय के किसी भी स्कूल/विभाग/केन्द्र में अपनी नियुक्ति के विषय में कोई आपत्ति नहीं करेगा।

5. पहले भाग के *पक्ष* को इस अनुबंध के प्रभावी होने की तिथि से ....रु के मूल वेतनमान और ....रु के ग्रेड पे के अनुसार वेतन प्रदान किया जायेगा। प्रथम पक्ष विश्वविद्यालय/सरकार के प्रभावी नियमानुसार सामान्य देय भत्ते का भी हकदार होगा।

6. पहले *भाग का पक्ष* अपने अनुबंध की अवधि के दौरान उस पर लागू नियमों के अनुसार अवकाश अर्जित करेगा।

7. *प्रथम पक्ष* के लिए यदि विश्वविद्यालय सेवा के हित में यात्रा करना आवश्यक हो तो वह विश्वविद्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों के ऊपर लागू यात्रा भत्ते का अधिकारी होगा।

8. इस अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अधिवर्षिता आयु की अवधि के अंदर तीन महीनों की लिखित अग्रिम नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकता है। आगे सूच्य है कि यदि तीन महीनों का अग्रिम नोटिस न दिये जाने पर अनुबंध तोड़ने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को तीन महीनों में जितने दिन कम पड़ रहे हों, उतने दिन की अवधि के वेतन के समतुल्य राशि देगा।

9. प्रथम पक्ष अपने ऊपर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य निधि/पेंशन/नई पेंशन योजना से लाभान्वित होगा।

10. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अन्य संस्थान में नियुक्ति विषयक प्रथम पक्ष का कोई भी आवेदन अग्रेषित नहीं किया जायेगा।

11. इस अनुबंध में यदि किसी विषय से संबंधित मामले में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसके संबंध में इस अनुबंध के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 (बी) एवं 313 के अधीन बनाए गए नियमों या बनाए जाने वाले नियमों के प्रावधानों का सम्मान किया जायेगा। और विश्वविद्यालय सेवा के अंतर्गत शिक्षक/अधिकारी की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के संबंध में विश्वविद्यालय उस विशिष्ट मामले के संदर्भ में जिन अधिनियमों या नियमों का प्रावधान करेगा वे प्रथम पक्ष की सेवा पर उसी सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक अनुच्छेद 309 (बी) एवं 313 के तहत स्वीकृति होगी और उनके लागू होने की स्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

गवाहों के साक्ष्य में *प्रथम पक्ष* ....एवं कार्य परिषद के आदेश एवं निर्देश से, उसके लिए और उसकी ओर से कार्यरत कुलसचिव..*(नाम) यहाँ भारत गणराज्य के वर्ष............ की तिथि .... को इस अनुबंध पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हैं।*

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर :

उपस्थित गवाह :

गवाह 1

गवाह 2

<u>ORDINANCE NO: 13</u>

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF

1. Teachers of the University mean Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting researches in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances.

2. A teacher of the University shall be a whole-time salaried employee of the University and shall devote his / her whole-time to the University and does not include honorary, visiting, part-time and ad-hoc teachers.

a) No teacher of the University shall without the permission of the Executive Council engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached.

b) Provided that teachers may be permitted to undertake such assignment as examination work of Universities or learned bodies or Public Service Commissions or any literary work or publication or radio / television talk or extension lectures or, any other academic work with the permission of the Vice-Chancellor.

c) Provided further that teachers shall be encouraged to actively engage in research, publication, consultancy and management / executive development programmes as per UGC guidelines and with prior approval of the University.

Nature of Duties:

3. The work load of teachers in term of contact hours, presence on the campus and other activities relating to teaching, research, examination, evaluation, curricular development self-study and reparation for lectures shall be as per the norms prescribed by the University Grants Commission.
4. Organization of teaching, teaching of courses of studies assigned and other work related to the effective teaching such as development, revision of curricula & syllabi, laboratory & field work, tutorials, work related to examination and evaluation of students, maintenance of discipline in the classroom, general welfare of students etc. shall be the primary duties of the teachers.
5. In addition to the teaching of assigned courses of studies, teachers shall be expected to actively engage in research, publications, patent development, promotion of academic culture etc. in true spirit of the best intellectual traditions.
6. Teachers shall be bound by the decision of the department, the Board of Studies, School Board, the Academic Council and the Executive Council of the University and shall act and work under the general direction and supervision of the Head of the Department and Dean of the School concerned.
7. Every teacher shall undertake to take part in such activities of the University and perform such duties in the University as may be required of him/her in accordance with the letter and spirit of the Act, the Statutes and Ordinances as made from time to time and as in force.
8. Every teacher is appointed as a teacher in the University and his/her present placement in a particular School / Department / Centre is in accordance with the current needs and requirements of the University. The University reserves the right to establish, abolish, merge, reorganize and rename its Schools / Departments / Centres as warranted by the changing needs, requirements and circumstances and that the placement/place of posting of teacher may be changed accordingly at any time in the best interest of the University.

Probation:

9. Teachers shall be appointed on probation ordinarily for a period of twelve months, but in no case the total period of probation shall exceed 24 months. Provided that the condition of probation shall not apply in the case of teachers appointed by the Executive Council under the provisions of Statute 19.

Confirmation:

10. It shall be the duty of the Registrar to place before the Executive Council thecae of Confirmation of a teacher on probation, not later than forty days before the end of the period of probation.
11. The Executive Council shall have the power to confirm the teacher or decide not to confirm him, or extend the period of probation by a maximum of twenty-four months in all. Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Executive Council present and voting.

12. In case the Executive Council decides not to confirm a teacher, whether before the end of twenty-four months' period of his / her probation, or before the end of the extended period of probation, as the case may be, the teacher shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period.

Increment:

13. Every teacher shall be entitled to increment in his/her scale of pay, as per rules, unless the same has been withheld or deferred or postponed by a resolution of the Executive Council. Provided that a teacher whose increment is proposed to be withheld / deferred / postponed shall be given due opportunity to make his/her written representation.

Promotion through career advancement:

14. The promotion through career advancement of Assistant Professors / Associate Professors / Professor in the university shall be governed by the Norms / Regulations prescribed by the University Grants Commission in vogue and as amended from time to time.

Age of retirement:

15. Subject to the provision of Statute 25, every teacher confirmed in the service of the University, shall continue in such service until he / she attains the age of superannuation as prescribed by the UGC / Govt. of India from time to time.

a) Provided that if the date of Superannuation of a teacher falls at any time during the Academic Session, the Executive Council, may on the recommendation of the Vice-Chancellor re-employ the teacher for any period up to the end of the academic session, with a view not to disturb the teaching work of the Department / Centre.

b) Provided further that in special cases, a teacher on his/her attaining the age of superannuation, may be re-employed on a contract in keeping with the regulations in this behalf as issued by the UGC from time to time.

Professional Code of Conduct:

16. Every teacher shall be bound by the Act, the Statutes, the Ordinances, the Rules & Regulations and Code of Conduct as formulated by the University from time to time.

a) Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall be made after his/her appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave; leave salary and removal from service so as to adversely affect him.

17. Every teacher of the University shall abide by the Code of Conduct framed by the University from time to time. As a matter of general rules, the following lapses would amount to and constitute misconduct on the part of a University teacher:

a) Refusal, words or actions, to teach courses of studies, supervise research and/or other administrative and co-curricular activities assigned to him/her by the Department, the Board of Studies, the Dean of the School, the School Board and the Vice-Chancellor.

b) Lapses or negligence or carelessness in performing or carrying out the responsibilities as defined or as assigned to him/her from time to time by the university.

c) Refusal to carry out the decisions of the university authorities, academic bodies and/or functionaries of the University.

d) Non-adherence to the highest standards of personal and professional ethics and/or indulging in plagiarism of any kind and sort, within the legal meaning, interpretation and expression of the term.

e) direct and tacit involvement in activities leading to:

i) disturbance of peace and harmonious community life on the campus including involvement and abetment in inciting students, staff and outsiders against other students, colleagues, administration and campus.

ii) spread of communal feeling, hatred, campus violence including making derogatory remarks on caste, creed, colour, religion, race or gender.

iii) in any activities, actions and deed adversely affecting or impinging upon the interest of the university.

f) Nothing contained in these ordinances shall, however, interfere with the right of a teacher to express his/her views and difference of opinion on matters of principles in public forum, seminars, conferences, workshops and/or in his speech and writing.

Resignation:

18. A teacher may, at any time, terminate his/her contract by giving the University three months' notice in writing or on payment to the University of three months' salary in lieu thereof.

19. The notice period shall be one month in case of probationers, contractual, temporary and ad-hoc teachers or salary in lieu thereof.

20. Provided that the Executive Council may waive the requirement of notice at its discretion.

Written Contract:

21. As mandated under Section 33(1) of the Central Universities Act 2009, every teacher of the University shall be required to enter into a Written Contract with the University in the form as prescribed in Annexure - I of this Ordinance and as amended from time to time.

Teaching Days, Work Load and Leave Rules:

22. The rules and conditions governing number of teaching days, work load and leave rules shall be as prescribed by the UGC from time to time.

Fixation of Pay of Re-employed pensioners:

23. As per the Government of India Rules issued from time to time.

Seniority of Teaching Staff:

24. It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each category of employees to whom the provisions of this Ordinance apply, a complete and up to date seniority list in accordance with the provisions of this Ordinance.

25. Seniority of teachers shall be determined in accordance with the UGC norms. However, while determining the seniority of teachers the following principles shall be observed:

a) Seniority in each grade shall be determined in accordance with the length of continuous service from the date of appointment of the person in his/her grade.

b) If a teacher of the University is selected by a duly Selection Committee for an appointment to a post in the same grade in another Department / Centre / School of the University, his/her seniority in the University will be reckoned from the date of his/her original appointment to the post in the same grade in the University.

c) In case two or more teachers are recommended for appointment by the same selection committee held on the same date, the Selection Committee shall have powers to specify their seniority with due regards to the merit of the selected candidates and that the same shall be used for the purpose of determining seniority in service.

d) Seniority of the teachers appointed / promoted under the Career Advancement Scheme shall be determined in accordance with the UGC guidelines / regulations / norms in this regard. If a teacher is promoted to the next higher grade / post under the Career Advancement Scheme, his/her seniority in the higher grade / post shall be

reckoned from the date of eligibility for promotion to the next grade / post. However, if a candidate is denied promotion, his/her seniority shall be reckoned from the date of the next eligibility.

e) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or post or the relative seniority of any person(s) is otherwise in doubt or in question, the Registrar may, on his own motion or at the request of any person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

f) Seniority among the Deans of Schools, Heads of the Departments, Directors of the Centres of studies and Principals of the Colleges maintained by the University shall be determined with effect from the date of their appointment to such position.

Temporary Appointment of Teachers:

26. Temporary appointment of teachers shall be restricted to appointment against vacancies caused due to leave by teachers and shall be governed by the following rules:

a) Vacancies caused due to leave of Professors / Associate Professors /Assistant Professors will be filled in the cadre of Assistant Professor.

b) Temporary vacancies shall be filled on the advice of the Selection Committees in accordance with the procedure prescribed as per Clause 18 (6).

c) A temporary appointment so made shall be continued for the period of leave granted to a permanent incumbent. However, the temporary appointee cannot without any further express recommendations of a Selection Committee be continued after the exhaustion of his/her temporary tenure or be adjusted against any other Vacancy / vacancies.

d) A temporary teacher, who has been detained for official work during the Vacation shall be entitled to an ex-gratia payment equivalent to the emoluments he/she would have received had his/her appointment continued till the end of the vacation, provided that the teacher has worked in the University for a minimum period of 180 days during that academic year and has held that appointment on the last day of that academic year. Provided further that such teacher must not hold any appointment elsewhere for remuneration during the period of that vacation.

e) The temporary appointment so held shall not confer any rights on the teacher(s), so appointed to seniority, regularization absorption or preference in future appointment in the University.

Re-employment of Teachers:

27. The Executive Council may, in the interest of the University, re-employ a distinguished superannuated University teacher, who has contributed substantially to the field of knowledge and learning in accordance with the following procedure:

a) A University teacher retiring on superannuation shall intimate his/her willingness for re-employment to the Vice-Chancellor at least six months before the date of his/her superannuation through proper channel.

b) The Head of the Department/Institution and the Dean concerned shall forward the same to the Vice-Chancellor with their express recommendations.

c) In the case of the Head of the Department seeking re-employment, the Dean of the School shall forward his/her application with remarks to the Vice-Chancellor.

d) If the Dean of the School is himself/herself seeking re-employment, he/she shall submit his/her application to the Vice-Chancellor directly.

e) The application for re-employment shall be supported by the following documents:

i) Complete bio-data of the retiring teacher with special emphasis on the academic and other achievements made during the last five years. The bio-data shall include details regarding teaching and research experience, publications, attendance / presentations at conferences, workshops, seminars, symposia etc.

ii) Medical certificate of fitness from the recognized Health Centres / Hospitals. (The University reserves the right to get it verified by the University Medical Officer).

f) On receipt of the application / proposal and complete bio-data from the University teacher willing to work on re-employment, the Vice-Chancellor shall, in consultation with the Head of the Department or with any other expert in the field / subject of the applicant teacher, form his/her opinion and views about the re-employment of such a teacher and place the same in the form of a proposal before the Executive Council for consideration.

g) No teacher can claim re-employment as a matter of right.

h) The re-employment of a University teacher would be subject to the over-all age limit as prescribed by the UGC for Central Universities beyond which there would be no provision for extension.

i) The re-employment shall be treated as a fresh temporary appointment.

j) The Executive Council at its discretion may terminate the services of a re-employed University teacher by giving him/her one month's notice in writing.

k) A re-employed University teacher shall not be eligible for appointment as Head of the Department or Dean of a School nor can be a member of an authority of the University nor shall be given any other administrative responsibility.

l) The salary and other benefits admissible to a University teacher shall be in accordance with the Rules prescribed by the University from time to time.

ANNEXURE - I

FORM OF WRITTEN CONTRACT TO BE SIGNED BY TEACHER AND MEMBER OF THE ACADEMIC STAFF

(Under Clause 22(3) of the Central Universities Act 2009)

WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENT

Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which is hereby prescribed and appended to this ordinance.

TO BE TYPED ON `10/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER & SUBMIT ONE ORIGINAL AND TWO COPIES THEREOF.

SERVICE CONTRACT

ARTICLES OF AGREEMENT EXECUTED on the ______________________ day of __________________the year Two Thousand _________________Year of the Republic of India between ________________________ S/O/D/O/W/O __________________________ aged _____ years, residing at___________________________ of the first part (hereinafter called 'the party of the first part') and the Mahatma Gandhi Central University of the second part.

WHEREAS the ***Clause 22(1)*** (hereinafter referred in as "the University") have engaged the party of the first part as ___________________________ (Designation) in the School of ....and the party

of the first part has agreed to serve the University on the terms and conditions hereinafter contained; Now these present witness and the parties here to respectively agree as follows:

1. The party of the first part shall submit to the orders of the University and of the authorities under whom he may from time to time, be placed by the University and shall remain in the service commencing from the date of joining duty ______________ (Date) subject to the terms and conditions herein contained.
2. The party of the first part shall devote his/her whole time and attention efficiently and diligently to his/her duties and at all-time obey the rules including the University Servants Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the University to which he may be attached and shall whenever required to perform such duties as may be assigned to him/her from time to time.
3. The party of the first part shall be of the Teacher's/Officer's rank and his / her status shall be that of ____________________________ (designation) in the School of ________________ (School) and presently placed in the................................ (Department/Centre/Office).
4. The party of the first part understands and agrees that his/her present placement in a particular School/ Department/Centre is in accordance with the current needs and requirements of the University and that the University reserves the right to establish, abolish, merge, reorganize and rename its schools, departments and centres as changing needs, requirements and circumstances may warrant and that the party of the first part shall willingly accept and have no objection to any change in his/her placement to any School/ Department/Centre of the University.
5. The party of the first part shall, from the date of coming into force of these, be granted Rs.________________________ (Basic Pay including the grade pay of Rs.______________________) in the pay scale of Rs. ___________________________. **He/She** shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the University/Govt. of India in force.
6. The party of the first shall, during the period of his/her agreement earns leave according to the rules applicable to him/her.
7. If the party of the first part is required to travel in the interest of the University Service; he/she shall be entitled to travelling allowance on the scale applicable to the Officers of his/her/her equal rank in the University.
8. His/her agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation / by either party, by giving three months' notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.
9. The party of the first part shall be eligible to the benefit of the University Provident Fund/Pension/New Pension Scheme according to the rules applicable.
10. No application of the party of the first part for employment in other institution shall be forwarded during his/her probation period.
11. In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any Act or Rule made by the University in regard to the employees borne in the category of the Teacher/Officer in the University service shall apply to the extent to which they are applicable to the service of the party of the first part under this agreement and the decision of the University as their applicability shall be final

IN WITNESS WHEREOF ____________________________________ the party of the first part and the (Name) Registrar acting for and on behalf of and by the order and direction of the Executive Council, have hereunto set their hands in the ______________________ year of the REPUBLIC OF INDIA.

SIGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:

IN THE PRESENCE OF:

Witness: 1)

Witness: 2)